



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2010/माघ 13, 1931

No. 41]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010/MAGHA 13, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि. 70467.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

- (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2010" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
- (i) दिनांक 13-11-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009" द्वारा यथा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खण्ड क. 1.1 के संशोधित पाठ की सातवीं पंक्ति में "25 लाख से अधिक" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"खण्ड में उल्लिखित नौ शहरों के अतिरिक्त"

(ii) दिनांक 13-11-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009" द्वारा यथासंशोधित "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" की अनुसूची (1) में 'परिसर' शीर्षक के अंतर्गत खण्ड क. 1.1 के संशोधित पाठ की नवीं/दसवीं पंक्ति में "दादरा एवं नगर हवेली" शब्दों के पश्चात् "और लक्षद्वीप" को जोड़ा जाएगा।

- अधिसूचना के संशोधित पाठ की अनुसूची (1), खण्ड ख. 1. 8 की अंतिम पंक्ति में "पूर्वोत्तर राज्यों तथा पर्वतीय राज्यों" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेशों"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाठ टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 8 जुलाई, 2009 तथा 13 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2010

No. MCI. 34(41)/2009-Med./70467.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :
3. (i) In Schedule (I), Clause A.1.1 of the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” vide Notification dated 13-11-2009 under the heading ‘CAMPUS’, in the seventh line of the amended text of the notification, after the words “more than 25 lakhs”, the following words shall be added :
“other than the nine cities mentioned in the Clause”
- (ii) In Schedule (I), Clause A.1.1 of the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” vide Notification dated 13-11-2009 under the heading ‘CAMPUS’, in the ninth/tenth line of the amended text of the notification, after the words “Dardra & Nagar Haveli”, the words “and Lakshadweep” shall be added.
4. In Schedule (I), Clause B.1.8, in the last line of amended text of the notification, after the words “North Eastern States and Hill States”, the following shall be added :

“Notified Tribal Areas, Union Territories of Andaman & Nicobar Island, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep”.

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated

the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 8-07-2009 and 13-11-2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./70468.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2010” कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. (i) दिनांक 13-11-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009” द्वारा यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” की अनुसूची (1) में ‘परिसर’ शीर्षक के अंतर्गत खण्ड क. 1.1 के संशोधित पाठ की सातवीं पंक्ति में “25 लाख से अधिक” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
“खण्ड में उल्लिखित नौ शहरों के अतिरिक्त”
- (ii) दिनांक 13-11-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009” द्वारा यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” की अनुसूची (1) में ‘परिसर’ शीर्षक के अंतर्गत खण्ड क. 1.1 के संशोधित पाठ की नवीं/दसवीं पंक्ति में “दादरा एवं नगर हवेली” शब्दों के पश्चात् “और लक्षद्वीप” को जोड़ा जाएगा :—
4. अधिसूचना के संशोधित पाठ की अनुसूची (1), खण्ड ख. 1.8 की अंतिम पंक्ति में “पूर्वोत्तर राज्यों तथा पर्वतीय राज्यों” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेशों”

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धि-पत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 1 दिसम्बर, 2008 तथा 13 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2010

No. MCI. 34(41)/2009-Med./70468.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. (i) In Schedule (I), Clause A.1.1 of the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” vide Notification dated 13-11-2009 under the heading ‘CAMPUS’, in the seventh line of the amended text of the notification, after the words “more than 25 lakhs”, the following words shall be added :—

“other than the nine cities mentioned in the Clause”

(ii) In Schedule (I), Clause A.1.1 of the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” vide Notification dated 13-11-2009 under the heading ‘CAMPUS’, in the ninth/tenth line of the amended text of the notification, after the words “Dadra & Nagar Haveli”, the words “and Lakshadweep” shall be added.

4. In Schedule (I), Clause B.1.8, in the last line of amended text of the notification, after the words “North Eastern States and Hill States”, the following shall be added :

“Notified Tribal Areas, Union Territories of Andaman & Nicobar Island, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep”.

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20-10-2008, 1-12-2008 and 13-11-2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./70469.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2010” कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापित दर्शाए जाएंगे :—

3. (i) दिनांक 13-11-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009” द्वारा यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” की अनुसूची (I) में ‘परिसर’ शीर्षक के अंतर्गत “खण्ड क. 1.1 के संशोधित पाठ की सातवीं पंक्ति में “25 लाख से अधिक” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—
“खण्ड में उल्लिखित नौ शहरों के अतिरिक्त”

(ii) दिनांक 13-11-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2009” द्वारा यथासंशोधित “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” की अनुसूची (I) में ‘परिसर’ शीर्षक के अंतर्गत “खण्ड क. 1.1 के संशोधित पाठ की नवीं/दसवीं पंक्ति में “दादरा एवं नगर हवेली” शब्दों के पश्चात् “और लक्षद्वीप” को जोड़ा जाएगा :—

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस.में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि. (ii) के अन्तर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1994 के शुद्धि-पत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 8 जुलाई, 2009 और 13 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना के अन्तर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2010

No. MCI. 34(41)/2009-Med./70469.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—
3. (i) In Schedule (I), Clause A.1.1 of the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually

Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” *vide* Notification dated 13-11-2009 under the heading ‘CAMPUS’, in the seventh line of the amended text of the notification, after the words “more than 25 lakhs”, the following words shall be added :

“other than the nine cities mentioned in the Clause”

(ii) In Schedule (I), Clause A.1.1 of the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999”, as amended by “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009” *vide* Notification dated 13-11-2009 under the heading ‘CAMPUS’, in the ninth/tenth line of the amended text of the notification, after the words “Dadra & Nagar Haveli”, the words “and Lakshadweep” shall be added.

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 8-7-2009 and 13-11-2009.